न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/86/2008

विनोद पुत्र हजारीलाल जाति वैश्य निवासी रनजीत नगर भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1–भौंदूराम (मृतक) पुत्र स्व. नेकराम जाति जाट निवासी खैमरा तहसील भरतपुर

1/1–जसमत पुत्र भौंदू
1/2–इन्दलसिंह पुत्र भौंदू
1/3–पीतम सिंह पुत्र भौंदू
1/4–जलसिंह पुत्र भौंदू
1/5–लाडो देवी पुत्री भौंदू
1/6–लक्ष्मी देवी पुत्री भौंदू
1/7–कमलेशसिंह पुत्री भौंदू
1/8–भूदेवी पुत्री भौंदू
1/9–मंजू देवी पुत्री भौंदू

जाति जाट निवासी खैमरा तहसील व जिला भरतपुर

.....रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्टविरुद्ध नामान्तकरण संख्या 686 तारीखी 02.08.2008 तहसीलदार भरतपुरबाबत आराजी खसरा नम्बर 1667 रकवा 1.94 चक न.1 कस्बा भरतपुर

———

उपस्थितः–
1– श्री सोनीराम शर्मा अभिभाषक, अपीलान्ट,
2– श्री विजयसिंह कुन्तल, अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय दिनांक 08.05.2026

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ नामान्तकरण संख्या 686 तारीखी 02.08.2008 आदेश तहसीलदार भरतपुर, इस न्यायालय में दिनांक 20.10.2008 को पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 686 नेकराम पुत्र मटरे कौम जाट सा. खैमरा गैरखातेदार साल 28 के फौत होने के बाद विरासतन भौंदूराम पुत्र नेकराम जाति जाट सा. खैमरा गैरखातेदार साल 28 के नाम तहसीलदार भरतपुर द्वारा दिनांक 2.8.2008 को स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। तहसलदार भरतपुर के इस आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पो. एव अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण तलब किया गया। तहसीलदार भरतपुर के पत्रांक/एलआर/13/242 दिनांक 21.1.13 से नामान्तकरण की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विवादित आराजी साबिक आराजी खसरा नम्बर 1212 मिन रकवा 12 बीघा चक न. 1 भरतपुर था जिसे हाल नये खसरा नम्बर 1667 रकवा 1–94 बने हैं जरिये परिशोधन संख्या 399 दिनांक 7.1.84 से नेकराम को खातेदार दर्ज किया था। नेकराम ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा अपनी खातेदारी की आराजी 1212 मिन रकवा 12 बीघा चक नम्बर एक को अपीलान्ट को विक्रय कर खातेदारी अधिकार एवं कब्जा दे दिया था। योग्य अभिभाषक ने बताया कि बन्दोवस्त विभाग ने जरिये परिशोधन मि. संख्या 340/84 तारीख 14.3.84 से नामान्तकरण स्वीकार कर नेकराम के स्थान पर अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया था। अपीलान्ट आज तक विवादित आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज हैं। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट की बिना जानकारी के व बिना नोटिस दिये हाल खसरा नम्बर से अपीलान्ट का नाम हटा दिया एवं नेकराम मृतक का नाम दर्ज कर दिया गया। नेकराम के फोत होने के बाद विवादित आराजी पर विरासतन उसके पुत्र भौंदूराम पुत्र नेकराम के नाम नांमातकरण 686 खोला जाकर तहसीलदार भरतपुर ने दिनांक 2.8.08 को स्वीकार कर दिया गया। अपीलान्ट को इसकी जानकारी नहीं दी गई, तहत न्यायालय ने बिना मौका देखे व बिना नोटिस दिये यह कार्यवाही की है, जो नियम विरुद्ध है। भौंदू रेस्पो. ने सरकार के खिलाफ एक दावा इस्तकरार हक पेश किया है उसमें अपीलान्ट ने पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया और उस दावा में भौंदूराम ने अपने को गैर खातेदार दर्ज होना बताया तब पूर्ण जानकारी कर अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 6.10.08 को हुई। नकल मिलने पर अपील बिना देरी के पेश की गई है देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि रेस्पो. का पिता नेकराम अपने जीवनकाल में अपीलान्ट के हक में विवादित आराजी में प्राप्त समस्त हक हकूक को गैरखातेदार व खातेदारी अधिकार जरिये रजिस्र्ड बयनाम ट्रांसफर कर चुका है तो रेस्पो. को कोई अधिकार प्राप्त करना शेष नहीं रहा है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किया जाकर अपीलान्ट को खातेदार दर्ज किया जावे। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 341,आरआरडी 1995 पेज 572(ए) उद्धरित किये।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि विवादित नामान्तकरण संख्या 686 दिनांक 2.8.2008 विरासतन स्वीकार किया गया है। जो मृतक नेकराम के स्थान पर उनके पुत्र भौंदू वारिस के नाम स्वीकार किया है। अपीलान्ट का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। अपीलान्ट परिवेदित पक्षकार नहीं होने के कारण उसे अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. का तर्क है कि अगर नामान्तकरण निरस्त होता है तो जमीन वापिस मरे हुये व्यक्ति के नाम नहीं जा सकती है। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि वर्ष 1976 में जब कथित बेचान हुआ तब नेकराम गैरखातेदार साल 28 दर्ज था और एक गैर खातेदार को भूमि को बेचान करने का अधिकार नहीं है। दावा राजस्व मण्डल अजमेर में पेन्डिंग है। नामान्तकरण कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है इसमें किसी के हक हकूक तय नहीं होते हैं। तहसीलदार ने विरासतन नामान्तकरण सही स्वीकार किया है। अपील म्याद बहार पेश की गई है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत रुलिंग का ससम्मान अध्ययन किया गया।

प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। देरी को माफ करने के लिये अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। म्याद के सन्दर्भ में आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों की परिप्रेक्ष्य में अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, अपील की मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 686 दिनांक 2.8.2008 ग्रांम खैमरा का अवलोकन किया गया। विचाराधीन प्रकरण में

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

यह देखना है कि अपीलाधीन आदेश नियमों के तहत पारित किया गया है या नहीं। यह नामान्तकरण नेकराम पुत्र मटरे कौम जाट सा. खमैरा गैरखातेदार साल 28 की विरासत का पुत्र भौंदूराम पुत्र नेकराम जाति जाट निवासी खैमरा के नाम गैरखातेदार साल 28 दर्ज किया जाकर तहसीलदार भरतपुर ने दिनांक 2.8.2008 को स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन आदेश में दर्ज विरासत पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है। तहत न्यायालय ने मृतक नेकराम पुत्र मटरे की विरासत दर्ज किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने दोराने बहस बताया कि विवादित आराजी को लेकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान के स्वामित्व तय होने हैं।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं उसके अधीन बनाऐ गये नियमों के अनुसार नामान्तकरण कार्यवाही एक सार–संक्षिप्त (Summary) प्रक्रिया है। जिसमें स्वामित्व का अंतिम निर्धारण नहीं किया जाता, अपितु उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रथम दृष्टया अधिकार के आधार पर प्रविष्टि की जाती है। जहॉ तक प्रश्न विवादित आराजी में अपीलान्ट के हक हकूक तय करने का है, पक्षकारान के हक हकूक दावा में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सबूत लिये जाकर तय होने हैं। नामान्तकरण कार्यवाही फिसकिल प्रोसिडिंग हैं। अतः पक्षकार अपने हक हकूक दावा में तय करावें। अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज योग्य है।

दौराने अवलोकन अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के मु. सं. 121/2014 (223 आर.टी.एक्ट) उनवानी भोदूराम बनाम सरकार आदेश दिनांक 20.02.2015 के पेज सं0 3 के प्रथम पैरा में राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अंकित किया है कि–

> ".....किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेज से नेकराम के नाम हुये आवंटन को वादी साबित करने में असफल रहा है। वादी द्वारा ना तो आवंटन आदेश ही प्रस्तुत किया गया है और ना ही आवंटन के आधार पर दर्ज दाखिल खारिज को ही प्रस्तुत किया गया है केवल मौखिक कथनों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि विवादित भूमि वादी के पिता को आवंटित हुई थी। वादी का पिता एक्स सोल्जर्स हो सकता है किंतु एक्स सोल्जर्स के रूप में भूमि आवंटित होना साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है।....."

.....5

मेरी विनम्र राय में माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 20.02.2015 में उठाये गये बिन्दुओं एवं खसरा परिशोधन संख्या 399 में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा श्री नेकराम पुत्र मटरे को गैर खातेदारी से दी गई खातेदारी के अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेख से विस्तृत जॉच कराया जाना उचित पाते हैं। अतः भूमिधारी तहसीलदार भरतपुर को हिदायत दी जाती है कि वह उक्त सम्बन्ध में राजस्व अभिलेख के आधार पर विस्तृत जॉच करें और नियमों के विरूद्ध कोई त्रुटि पाई जाती है तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनाक 08.05.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर